

**फर्द अहकाम**  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर**

प्रार्थी-सरकार जरिये तहसीलदार

अप्रार्थी- छोटा देवी व अन्य

केस संख्या : 450 / 2016

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट बाबत नक्शा व रिकॉर्ड दुरुस्ती बाबत**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p style="text-align: center;"><b>:-निर्णय:-</b></p> <p>आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पैरोकार राज0 उप0। अप्रार्थी अनु0।</p> <p>अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5 के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है।</p> <p>बहस सुनी गई।</p> <p>पैरोकार राज0 ने निवेदन किया कि ग्राम जयचन्द्र का बास से मोहनपुरा पृथ्वीसिंह तक सी.सी. रोड बनी हुयी है जो एस.एच. जयपुर भीलवाडा रोड के लगवा गुजर रही है यह रोड राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है, उक्त रोड प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि से निकल रही है। उक्त रोड में प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 24/1 रकबा 1.05 में से 0.01 बिस्वा, खसरा नंबर 228/25 रकबा 1.00 बीघा में से 0.03 बिस्वा भूमि रोड में आ रही है, उक्त रोड में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 3.14 बीघा में से 0.03 बिस्वा भूमि आ रही है। इस रोड का आम जनता की समस्या के निराकरण के लिए राजस्व रिकॉर्ड में अंकन आवश्यक है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।</p> <p>पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 24/1 रकबा 1.05 में से 0.01 बिस्वा, खसरा नंबर 228/25 रकबा 1.00 बीघा में से 0.03 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 3.14 बीघा में से 0.03 बिस्वा भूमि पर रास्ता बना हुआ है जो आमजन के आवागमन के लिए उपयोग में आ रहा है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में दुरुस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर ग्राम जयचन्द्र का बास, तहसील फागी जिला जयपुर के खसरा नंबर 24/1 रकबा 1.05 में से 0.01 बिस्वा, खसरा नंबर 228/25 रकबा 1.00 बीघा में से 0.03 बिस्वा एवं खसरा नंबर 21 रकबा 3.14 बीघा में से 0.03 बिस्वा भूमि मुताबिक नजरी नक्शा की किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज की जाती है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर नक्शा में तरमीम करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 20/06/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मोहनपुरा पृथ्वीसिंह में सुनाया गया।</p>	



(सुबोध कुमार चायल)  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी